भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2280
20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

विझिंजम में मछुआरे

2280. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के विझिंजम में मछुआरे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विरोध के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विझिंजम के मछुआरों की मांग पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने का है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का मिट्टी के तेल की कीमत कम करने का या मछुआरों को मिट्टी के तेल की आपूर्ति पर राजसहायता देने का विचार है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का मछुआरों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (च): केरल सरकार ने सूचित किया है कि विझिंजम में मछुआरों के एक समूह और स्थानीय लोगों ने विझिंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड के निर्माण का विरोध किया और उनका मुख्य आरोप यह है कि बंदरगाह के निर्माण से समुद्री क्षरण (सी इरोशन) होता है और उनकी आजीविका प्रभावित होती है। सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं और विरोध को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया है और अब विझिंजम बंदरगाह का निर्माण सुचारू रूप से चल रहा है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मछुआरों की आजीविका और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहा है। इनमें मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों सहित नई मछली पकड़ने वाली नौकाओं और जालों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना, संचार डिवाईस और संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र/पोटेनशियल फिशिंग ज़ोन डिवाईस (पीएफ़ज़ेड)

जैसे उपकरण और विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करना और मछुआरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, केरल सरकार ने सूचित किया है कि राज्य पुनरगेहम नामक एक परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य 50 मीटर उच्च ज्वार स्तर (हाई टाईड लेवल) के भीतर रहने वाले सभी परिवारों का पुनर्वास करना है। मछली के स्टॉक को बढ़ाने के लिए, सरकार सी रैंचिंग कार्यक्रम और समुद्र में आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स के निर्माण को भी लागू कर रही है। इस तरह के मछली स्टॉक वृद्धि कार्यक्रमों का उद्देश्य मछुआरों को मछली पकड़ने से उपलब्ध मतस्यों की संख्या में सुधार करने में मदद करना है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति स्थिर हो सके। इसके अलावा, शिक्षा के लिए सहायता, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका, मत्स्यन उपकरणों का वितरण, ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत करना आदि कार्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। यह भी बताया गया है कि केरल सरकार मछुआरों को मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की केरोसिन सब्सिडी प्रदान कर रही है। सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए प्रभावी उपाय किए हैं।

*****